*विभिन्न थाना क्षेत्रो से 2 कि0 50 ग्रा0 डोडा चूर्ण, अवैध शराब व गोवंशीय पशु समेत कुल 03 अभि0गण को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में *

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के कुशल निर्देशन में अवैध शराब व मादक पदार्थ की बिक्री/तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.09.2021 को थाना उझानी पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिन साहू पुत्र किशन साहू नि0 पंखा रोड़ मौ0 गंजशहीदा कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूँ को 02 कि0 50 ग्राम अवैध डोडा चूर्ण समेत अढौली रेलवे फाटक के पास कस्वा उझानी से गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 421/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, थाना बिनावर पुलिस द्वारा अभियुक्त तवल्ला पुत्र रामफल नि0 आंद्रापुरी थाना जमवारामगढ़ जनपद जयपुर (राजस्थान) को बहद ग्राम घटबेटी से आने वाले मार्ग पर पड़ने वाली नहर की पुलिया के पास से एक महिंद्रा स्कार्पियो गाड़ी नं0 DL-1 CS- 2251 सीज शुदा अंतर्गत धारा 207 MV ACT जिसमें (02 बैल व 02 गाय) कुल 04 अदद गोवंशीय पशु जिसमें 01 मृत बैल तथा 03 जीवित व 02 अदद एंड्राइड मोबाइल समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/21 धारा 3/5क/8 गोवध अधिनियम व धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 तथा थाना उघैती पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास गुप्ता पुत्र गुड्डू गुप्ता नि0 उघैती थाना उघैती जनपद बदायूँ को अवैध शराब समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/21 धारा 420/272 भादवि व धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं ।